AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना अछनेरा जनपद आगरा।   दिनांक 20.07.2021

थाना अछनेरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार....

दिनांक 16.07.2022 को वादी रामदयाल द्वारा थाना अछनेरा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 13.07.2022 को प्रार्थी की पत्नी ओमवती खेतों से पशुओं के लिए चारा लेने गयी थी। जब शाम तक वापस नहीं आयी तो हम लोगों ने काफी तलाश किया। तलाश करने के उपरान्त दिनांक 15.07.2022 को पत्नी का शव चरी के खेत में सढ़ी गली अवस्था में मिला। मुझे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर मु0अ0सं0 237/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अछनेरा को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम दिनांक 20.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त इस समय भरतपुर रोड पहाड़ लाइन के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

उपरोक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्त सकपका गया और भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना नाम दीवान बताया गया। हत्या के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2022 को शाम मैं अपने गांव से मोटरसाइकिल से खेतो की तरफ गया था। रास्ते में मुझे ओमवती अरदाया नहर के आगे मिली, उसने मुझसे कहा कि मुझे भी बैठा लो मैं भी चारा लेने जा रही हूँ। मैंने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। उसे लेकर मैंने अपने खेत के पास चारा कटवाया, उस दौरान मेरा भाई कोमल आ गया, कोमल ने ओमवती से चारा काटने से मना किया और वह धर्मशाला की तरफ चला गया और मैं भी ट्यूबवेल की तरफ नहाने चला गया। ओमवती चारा काटकर वहाँ से निकली तो मैं जल्दी–जल्दी नहाकर वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से ओमवती के पीछे आया। रास्ते में चरी के खेत के पास ओमवती घास काट रही थी। उस पर मेरी नीयत

खराब हो गयी थी, तो मैंने मोटरसाइकिल रोककर उससे गलत काम करने का प्रस्ताव रखा, तो ओमवती ने मुझसे कहा कि इसके बारे में मैं गांव में बताऊँगी और तेरी पंचायत निकलवाऊँगी। यह सुनकर मैं डर गया तो मैं उसे घसीटकर खड़ी चरी के खेत में ले गया और वहां गला दबाकर हत्या कर दी। मैं वहाँ से चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल से गाँव आ गया था। मेरे कान मे मोबाइल की सफेद रंग की हेडफोन (लीड) लगी थी, जोकि घटना के समय आधी टूटकर घटनास्थल पर गिर गयी थी। डर की वजह से मैंने अपनी आधी लीड और अपना मोबाइल फोन पास की नहर मे बहते हुए पानी मे फेक दिया था। अगले दिन मैंने घटनास्थल पर जाकर देखने का प्रयास किया तो खेतों मे आसपास के लोग काम रहे थे उनकी डर की वजह से मै वहाँ से भाग गया था।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. दीवान पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम अरदाया थाना अछनेरा जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 314/21 धारा 454/380/411 भादवि थाना अछनेरा आगरा ।
02. मु0अ0सं0 237/22 धारा 302 भादवि थाना अछनेरा आगरा ।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. थानाध्यक्ष श्री अनुराग शर्मा थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
2. व0उ0नि0 श्री सोवरन सिंह थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
3. का0 रजत कटियार थाना अछनेरा जनपद आगरा ।
4. का0 अभय प्रताप थाना अछनेरा जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा।